बिहार सरकार राज्य स्कीम

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0– 5/निदे0–महा0 वि0–56–03/2015– 123

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचंद पटेल पथ,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक– 5.2.2018

विषयः **महादलित विकास योजना के तहत् वित्तीय वर्ष–2017–18 में राज्य स्कीम से बिहार महादलित विकास मिशन को अनुदान के रूप में सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण में ₹10500.00 लाख (एक अरब पाँच करोड़ रू0) मात्र की स्वीकृति एवं नये सामुदायिक भवन–सह–वर्क शेड का निर्माण कार्य योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के माध्यम से कराने की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2018–19 तक योजना को चालू रखने की स्वीकृति।**

आदेश– स्वीकृत ।

2– (i) महादलित विकास योजना के तहत् वित्तीय वर्ष–2017–18 में राज्य स्कीम से बिहार महादलित विकास मिशन को अनुदान के रूप में सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण में ₹10500.00 लाख (एक अरब पाँच करोड़ रू0) मात्र की राशि की व्यय की स्वीकृत दी जाती है।

(ii) नये सामुदायिक भवन–सह–वर्क शेड का निर्माण कार्य स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति तथा योजना को वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2018–19 तक चालू रखने की स्वीकृति दी जाती है।

(iii) वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्वीकृत सामुदायिक भवन–सह–वर्क शेड के निर्माण में उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण हेतु लक्ष्य को पुनरीक्षित करते हुए वर्ष 2017–18 में प्राप्त प्राक्कलन के आलोक में उपस्थापित प्रस्ताव के अनुरूप कार्य कराने की स्वीकृति दी जाती है।

3– स्वीकृत राशि का व्यय राज्य स्कीम मद से मांग संख्या–44 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण, लघु शीर्ष–102–आर्थिक विकास, उपशीर्ष–0115–महादलित विकास हेतु–विषय शीर्ष–0115.31.05–सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण–विपत्र कोड–44-2225011020115 राज्य स्कीम के अन्तर्गत विकलनीय है।

4– इस स्वीकृत राशि के लिए निकासी पदाधिकारी उपनिदेशक(मु0), अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग होंगे। वे राशि की निकासी कर बिहार महादलित विकास मिशन, पटना के पी0 एल0 खाता संख्या PLA–264 में हस्तांतरित करेंगे। मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना द्वारा मिशन कार्यालय के पत्रांक–1521 दिनांक–04.12.2017 में उल्लेखित योजनाओं पर ही राशि का व्यय नियमानुसार किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नही किया जाएगा।

5– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक– 2561 दिनांक 17–4–98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6– महालेखाकार, बिहार को इस राशि से व्यय से संबधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा।

7– राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा योजना से संबधित व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

8– नये सामुदायिक भवन–सह–वर्क शेड का निर्माण की योजना का कार्यान्वयन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग के माध्यम से कराया जायेगा। साथ ही, मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 1903 दिनांक 30.11.2017 द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन (Model Estimate) के आलोक में निम्नांकित दर पर कार्य करायी जाएगी :–

क्र0	कार्य का नाम	तकनीकी अनुमोदित राशि (रूपये में)
1	सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड निर्माण (Open Foundation)	₹23,29,100.00 (तेईस लाख उनतीस हजार एक सौ रू0)
2	सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड निर्माण (Pile Foundation)	₹23,76,400.00 (तेईस लाख छिहत्तर हजार चार सौ रू0)

09– सम्बन्धित जिला योजना पदाधिकारी द्वारा सामुदायिक भवन–सह–वर्क शेड का निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति वास्तविक तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में दी जाएगी। योजना पूर्ण होने के पश्चात् जिला स्तरीय अभियंता के माध्यम से सत्यापन किया जायेगा।

10– इस प्रस्ताव पर लोक वित्त समिति की बैठक दिनांक–08.01.2018 एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–30.01.2018 में मद संख्या–01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

11– इस राशि की स्वीकृति आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–5/निदे0–महा0 वि0–56–03/2015– के पृष्ठ 11/टि0 पर दिनांक 05/02/18 को प्राप्त है।

12– सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

5.2.18

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 5/निदे0–महा0 वि0–56–03/2015– 123 पटना, दिनांक: 5.2.2018

प्रतिलिपि : (1) प्रधान सचिव वित्त विभाग, बजट, शाखा/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रषित।

(2) प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, निगरानी विभाग/अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त/ सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला योजना पदाधिकारी/सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग/सभी जिला कल्याण पदाधिकरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ उप निदेशक (मु0)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु जनजाति कल्याण विभाग/लेखा शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग (दोहरी प्रति में)/आई0 टी0 मैनेजर/प्रशाखा पदा0–4(निदे0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.2.18

सरकार के सचिव।